आरबी/टेली 4/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टेली/टीडब्ल्यू/1/डाटा नेटवर्क **नई दिल्ली, दिनांक: 12.09.2011**

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें,
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद।
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएसएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां।
निदेशक/इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, आईआरआईटीएम,
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड।
प्रबंध निदेशक/रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आरएलडीए, क्रिस।

विषय: बाहरी एजेंसियों द्वारा सरकारी कम्यूनिकेशन के इंटरसेप्शन से बचने के लिए सरकारी प्रयोजनों के लिए ईमेल सेवाओं और आईपी आधारित ऑडियो/वीडियो कम्यूनिकेशन सेवाओं के लिए केवल रेलनेट नेटवर्क का इस्तेमाल करने संबंधी अनुदेश।

वर्ष 1999 के दौरान सभी भारतीय रेलों के लिए रेलनेट नेटवर्क पर ईमेल सेवाएं शुरू की गई हैं। अब सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ कुछ चुनिन्दा अराजपत्रित अधिकारियों को रेलनेट पर पोस्ट लिंक्ड ईमेल आईडी दी गई हैं। यह पाया गया है कि विभिन्न अधिकारी सरकारी कम्यूनिकेशन को भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलनेट के बजाए इंटरनेट पर जीमेल, याहूमेल, हॉटमेल आदि जैसी उपलब्ध अन्य नि:शुल्क ईमेल सेवाओं के माध्यम से पंजीकृत अपने ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ईमेल सेवाओं को इस्तेमाल करना थोड़ा और सुविधाजनक हो सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में कम्यूनिकेशनों को इंटरसेप्ट करने की संभावना रहती है और अवांछित व्यक्तियों के हाथ लग सकती है।

2. इसी प्रकार यह ध्यान में आया है कि कभी-कभार सरकारी ऑडियो/वीडियो और कम्यूनिकेशन और सम्मेलन भी स्काइप, गूगलटॉक आदि जैसी इंटरनेट पर उपलब्ध नि:शुल्क सेवाओं पर किए जा रहे हैं। इस प्रकार के ऑडियो/वीडियो कम्यूनिकेशनों को इंटरसेप्ट करने की संभावना रहती है और इनका दुर्भावनापूर्ण आशयों के लिए दुरूपयोग किया जा सकता है।

3. सभी रेलवे अधिकारियों को इसके बुरे परिणामों को जाने बिना और सुरक्षा न होने की स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली उपर्युक्त पद्धतियों का कम से कम सरकारी कम्यूनिकेशनों के लिए इस्तेमान नहीं करना चाहिए।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सीटीआईएस, अ.अ.मा.सं. और रेल भर्ती बोर्डों आदि के सभी रेलवे अधिकारियों के अनुपालन के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं:

(i) विभिन्न अधिकारियों को railnet.gov.in में उपलब्ध कराई गई सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से ही सभी सरकारी ईमेल भेजी और प्राप्त की जाएं। वैबमेल पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट यूआरएल **http://rmail.railnet.gov.in** के जरिए रेलनेट के बाहर से रेलनेट ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, अत: रेलवे के भौगौलिक क्षेत्रों से बाहर स्थित कार्यालय भी सरकारी कम्यूनिकेशन के लिए रेलनेट मेल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ii) रेल मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो उनके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित और भारत में लागू की जा रही अपनी ईमेल सेवा का इस्तेमाल करें या वे एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल करें। विकल्प के रूप में, वे पारस्परिक रूप से सम्मत निबंधन एवं शर्तों पर रेल मंत्रालय अथवा रेल मंत्रालय के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपनी ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सेवाओं का इस्तेमाल करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत सरकार में सीईआरटी द्वारा जारी किए गए अनुसार सभी सुरक्षा दिशा-निर्देशों/परामर्शों को अपनाया जाता है।

(iii) रेलवे के अपने नेटवर्क के माध्यम से ही सभी सरकारी ऑडियो और वीडियो कम्यूनिकेशन किए जाएं। गूगलटॉक, स्काईपे आदि जैसे इंटरनेट में उपलब्ध सेवा प्रदाताओं का सरकारी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल न किया जाए।

5. कृपया पावती दें।

O/C

(राकेश रंजन)
निदेशक/टेलीकॉम
फोन: 011-23388504, 030-44613
फैक्स: 011-23304690, 030-44690
ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in